प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 09 जुलाई, 2026**

विषय: बॉध सुरक्षा अधिनियम 2021 का Chapter-IX 38 (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट बॉधों का Comprehensive Dam Safety Evaluation (CDSE) विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल से कराने हेतु मानदेय /पारिश्रमिक एवं दैनिक भत्ता निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-सी०-4/रा०बॉ०सु०सं०/CDSE, दिनांक 03.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बॉध सुरक्षा अधिनियम 2021 के Chapter-IX 38 (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट बॉधों का Comprehensive Dam Safety Evaluation (CDSE) विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल से कराने हेतु मानदेय /पारिश्रमिक एवं दैनिक भत्ता निर्धारित किये जाने की स्वीकृति दिये का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2- इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **बॉध सुरक्षा अधिनियम 2021 के Chapter-IX 38 (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट बॉधों का Comprehensive Dam Safety Evaluation (CDSE) विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल से कराने हेतु विशेषज्ञों** यथा- अध्यक्ष एवं सदस्यों /विशेषज्ञों के लिए निम्नलिखित तालिका के अनुसार मानदेय /पारिश्रमिक एवं दैनिक भत्ता निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

तालिका

Independent Panel of Expert	REMUNERATION	AIR/TRAIN TRAVEL	LODGING/ BOARDING
Chairman/ members/ experts	• Rs. 7500/- per day for **chairman** subject to maximum of Rs. 75000/- per month. • Rs. 6500/- per day for **members / experts** subject to maximum of Rs. 65000/- per month. • This remuneration is for each day of dam visit / Meeting including journey /travel period. • If total remuneration in a month as per actual work is less than maximum limit, remuneration will be paid for actual days of working.	• T.A. and D.A. as admissible to Chief Engineer-level-II officers of the U.P. State Government.	• As admissible to Chief Engineer-level-II officers of the U.P. State Government.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त कार्य पर होने वाले व्यय का वहन अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के लेखाशीर्षक-2701 मुख्य तथा मध्यम सिंचाई- 02 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक-001-निदेशन एवं प्रशासन-04-कार्यकारी अधिष्ठान-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के मद से किया जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-212-X-2026-27 दिनांक 08-07-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव ।

संख्या-684(1)/2026/710/26-27-सिं०-4-001-CN-2024978, तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, राज्य बांध सुरक्षा सगठन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० वाल्मी भवन, उतरेठिया, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।